

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी पदों के लिये राजस्थान के 2 संतान के नयिम को बनाये रखा चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोज़गार पाने के लिये राजस्थान सरकार के दो संतान की पात्रता मानदंड को बरकरार रखा है तथा नरिणय सुनाया है कथिह भेदभावपूर्ण नहीं है और ना ही संवधान का उल्लंघन नहीं करता है ।

मुख्य बटु:

- **राजस्थान वभिन्न सेवा (संशोधन) नयिम, 2001** उन उम्मीदवारों को सरकारी पद पाने से रोकता है जनिकी दो से अधिक संतान हैं ।
 - शीर्ष न्यायालय ने दो-संतान के मानदंड को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिकि रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारजि कर दयिा, जनिहोंने वर्ष 2017 में सेना से सेवानवृत्तिके बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलसि में कांस्टेबल के पद के लयि आवेदन कयिा था ।
 - पीठ ने कहा किराजस्थान पुलसि अधीनस्थ सेवा नयिम, 1989 के नयिम 24(4), जो कहता है कि“कोई भी उम्मीदवार सेवा में नयिुक्तिके लयि पात्र नहीं होगा, जसिके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक संतान हैं, यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संवधान का उल्लंघन नहीं करता ।
- न्यायालय ने माना किवर्गीकरण, जो दो से अधिक जीवति संतान होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषति करता है,गैर-भेदभावपूर्ण और संवधान के दायरे से बाहर है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नयिोजन को बढावा देना था ।